

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

<p>7. परियोजना / स्कीम का स्थान :</p> <p>(i) राज्य / संघ शासित प्रदेश</p> <p>(ii) जिला</p> <p>(iii) वन प्रभाग</p> <p>(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हे०)</p> <p>(v) वन की कानूनी स्थिति</p> <p>(vi) हरियाली का घनत्वप्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (सलग्न की जाय) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ. आर. एल. एफ. आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल. 4मी० में भी संलग्न की जाय)</p> <p>(vii) मू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।</p> <p>(viii) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य, जीवमंडल आदि का भाग है (यदि हो तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन जीव वर्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)</p>	<p>यह परियोजना इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का एक डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट सुलतानपुर-बलिया मार्ग (एस्०एस्०-34) किमी० स्टोन 157 खसरा नं० 278 एवं 280 स्थित ग्राम अयूबपुर परगना-बरोसा तहसील-जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर उ०प्र० में श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री नन्दकक निवासी ग्राम उमरी पो० पौधनरामपुर तहसील कदरीपुर जिला सुलतानपुर की डीलरशिप में स्थापना हेतु प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरव्यवसायिक प्रयोग की अनुमति तथा मार्ग की संरक्षित वन भूमि पर 11 अदद विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का पातन।</p> <p>उत्तर प्रदेश सुलतानपुर सा०वा० वन प्रभाग सुलतानपुर 0.075028 हे० (750.28 वर्गमी०)</p> <p>स्वामित्व राज मार्ग प्राधिकरण का है। 0.2 संलग्न है।</p> <p>ये भू-भाग भू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है</p> <p>नहीं</p>
---	--

<p>(x) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियों पायी जाती है यदि हाँ / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।</p>	<p>नहीं, सामान्यतया सिरस, शीशम, प्रोसोपिस अर्जुन, कंजी, आम आदि के वृक्ष सड़क के किनारे रोपित किये गये हैं।</p>
<p>(xi) क्या कोई सुरक्षित पुरातात्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थिति है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो तो दें।</p>	<p>नहीं।</p>
<p>8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।</p>	<p>प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।</p>
<p>9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।</p>	<p>नहीं।</p>
<p>10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा— (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत वनेतर / अवकमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी मूखण्डों की संख्या, प्रत्येक मूखण्ड का आकार। (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों रहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिध्यय। (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया जाए)</p>	<p>प्रस्तावित स्थल से 5 किमी० की दूरी पर सुरीली वन भूमि स्थित है। संलग्न है। — विवरण संलग्न है। संलग्न है।</p>
<p>11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)</p>	<p>संलग्न है।</p>
<p>12. विभाग / जिला प्रोफाइल (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (ii) जिले का वन क्षेत्र (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र</p>	<p>267289 हे० 636.878 हे० 3 मामले, 47.965 हे०</p>

(पञ्च) 1980 से जिला/ प्रभाग मे निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

रिक्त

(क) दण्ड के रूप मे प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

रिक्त

(ख) वनेत्तर भूमि पर

292.583 हे० क्षतिपूरक वनीकरण कराया गया।

13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की सिफारिस।

वह परियोजना इण्डियन आयस करपोरेशन लिमिटेड का एक डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट सुलतानपुर-बलिया मार्ग (एचएन-34) किमी० स्टोन 157 खसरा नं० 278 एवं 280 स्थित ग्राम अयूबपुर परगना-बर्हेसा तहसील-जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर उ०० में श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री नन्दकक निवासी ग्राम उमरी पो० पौवनरामपुर तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर की वीकरशिप में स्थापना हेतु प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति तथा मार्ग की संरक्षित वन भूमि पर 11 अद्द विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का पातन हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग संस्तुति की जाती है।

दिनांक- 24/03/2017
स्थान-सुलतानपुर।

(के०सी०नाजपेयी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सुलतानपुर